



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

SITTING NOTICE

फाइल सं NCST/SER-509/DL/20/2022-SSW

दिनांक :- 14.05.2024

सेवा में

प्रो. सिमरित कौर

प्राचार्या

श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स

दिल्ली विश्वविद्यालय

मौरिस नगर, नई दिल्ली -110007

ई मेल - principaloffice@srcc.du.ac.in, दूरभाष- 011-27667905, 27666519

विषय:- अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को प्रशासन द्वारा कनिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति न देने के संबंध में - श्री उमा शंकर गोंड, ऑफिस अटेंडेन्ट, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का दिनांक 14.07.2022 का अभ्यावेदन।
संदर्भ:- NCST के समसंख्यक पत्र दिनांक 21.11.2022

महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश के अनुसरण में एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच / की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोक नायक भवन, नई दिल्ली में दिनांक 22.05.2024 को 12:00 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की हैं।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध हैं कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/ दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय सदस्या के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिती को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय कि शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

मिरांडा इंगुदम

(मिरांडा इंगुदम/Miranda Ingudam)

निदेशक / Director

Tel:- 011-20819841

Email:- m.ingudam@sansad.nic.in